संख्या– 324 / नौ–9–19–153ज / 2001

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त /
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 27 फरवरी, 2019

विषय– नगरीय स्थानीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1357 / नौ–9–12–199ज / 2006, दिनांक– 10.09.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्रीय वित्त आयोग तथा नागर निकायों की अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों की प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति, नगर निगमों में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित है:–

1.	संबंधित मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	जिलाधिकारी	सदस्य
3	नगर प्रमुख	सदस्य
4	मुख्य नगर अधिकारी	सचिव / संयोजक
5	आयुक्त द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6	संबंधित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	सदस्य

2. समस्त नगर निगमों में सामान्यतः वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण करने की क्षमता उपलब्ध है। अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नगर निगमों हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्राविधान समाप्त करते हुये संबंधित नगर निगम के महापौर की अध्यक्षता में गठित समिति को उक्त अधिकार प्रदान किये जांय।

3. मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के स्थान पर महापौर की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:–

1. महापौर	अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी	सदस्य
3. नगर आयुक्त	सचिव / संयोजक
4. आयुक्त द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5. संबंधित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण	सदस्य

E-mail Id:- nagarvikasanubhag9@gmail.com

4. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को कार्यों के निरीक्षण करने तथा शिकायत पर अथवा स्वयं आवश्यक समझे जाने पर किसी भी एजेन्सी से कार्यों की जाँच कराने का अधिकार प्राप्त रहेगा तथा उनके द्वारा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

5. नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के संबंध में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक–10.09.2012 मे निहित व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी। इस संबंध में निर्गत शासनादेश सं0–1357/नौ–9–12–199ज/2006, दिनांक–10.09.2012 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

27.2.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महापौर, समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
3. समस्त महाप्रबंधक, जलकल विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।)
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।